13/6/23 पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 कैम्प आबूडी में रखके से पेश हुई। प्रार्थी की ओर से उनके अधि० उप० पैरोकार उप० प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा सियावा के खसरा नंबर 173/2730 रकबा 02 (दो) बीघा, 8 बिस्वा कृषि भूमि श्री अशोक कुमार से दिनांक 22 जून 2002 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। उक्त कृषि भूमि में से प्रार्थीगण ने 2988.80 वर्ग गज अर्थात् एक बीघा भूमि वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ श्रीमान जिला कलेक्टर महो० सिरोही से आदेश क्रमांक: प.12(3)(10)राज/2004/1533-40 दिनांक 5.6.2004 से

—लगातार

N.A. 13/6/2023 Camp

Noted

Signature Not Ve...
Digitally signed by Go...
Bhichher
Date: 2023.08.17 17:...
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय आबूरोड

संपरिवर्तन करवाया था जिस आदेश के साथ संलग्न नक्शे मे उक्त खसरा संख्या 173/2730 की भूमि मे से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रुपान्तरित भूमि को लाल रंग की लाईनो से वर्गाकार आकार मे दर्शाया हुआ है। उक्त रुपान्तरित भूमि का वर्तमान जमाबंदी अनुसार खसरा नंबर 2843/173 है किन्तु राजस्व कर्मचारीयों द्वारा ऑन लाईन नक्शो से सेग्रीगेशन करने के कार्य के दौरान अशुद्धि हुई और उसके कारण इस खसरा संख्या 2843/173 को वर्तमान राजस्व नक्शे मे उपरोक्त भूमि रुपान्तरण आदेश के साथ संलग्न नक्शे अनुसार नही दर्शाया हुआ है अतः नक्शे मे हुई तरमीम संबंधी इस गलती/अशुद्धि के सुधार हेतु निवेदन किया है।

उक्त रुपान्तरण की कार्यवाही के बाद प्रार्थीगण अंजली व सुरेश कुमार ने खसरा संख्या 173/2730 की कृषि भूमि मे से 15 बिस्वा कृषि भूमि प्रार्थीया संख्या 02 लता को दिनांक 06-04-2006 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के विक्रय की। जिसे विक्रय विलेख के संलग्न नक्शे मे लाल रंग से [illegible] दर्शाया हुआ है। प्रार्थीया संख्या 02 लता

— लगातार

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Gov
Bhichher
Date: 2023.08.17 17:39
Reason: SelfAttested

द्वारा विक्रय की गई उक्त कृषि भूमि का
वर्तमान जमाबंदी रिकार्ड अनुसार खसरा
नंबर 173/2730 है किन्तु सेटलमेंट
के कार्य के दौरान हुई त्रुटि के कारणवश
खसरा संख्या 173/2730 के वर्तमान
राजस्व नक्शे में उपरोक्त भूमि के
विक्रय विलेख दिनांक 06.04-2006 के
साथ संलग्न नक्शे अनुसार नहीं दर्शाया
हुआ है अतः नक्शे में हुई तरमीम
संबंधी इस त्रुटि के सुधार हेतु कथन
लिखा है।

इसी प्रकार उक्त स्थानान्तरण की
कार्यवाही में प्रार्थीगण में से लता व
सुरेश कुमार ने खसरा संख्या 173/27..
की कृषि भूमि में से 01 बीघा 03 बिस्वा
कृषि भूमि प्रार्थिया संख्या एक श्रीमती
को दिनांक 06-04-2006 को जरिये
पंजीकृत विक्रय विलेख के विक्रय कर
दी जिसे विक्रय विलेख के साथ संलग्न
नक्शे में लाल रंग से चिन्हित कर
दर्शाया हुआ है। प्रार्थीया [illegible] एक
लता को विक्रय की गई [illegible]
भूमि का वर्तमान जमाबंदी रिकार्ड अनुसार
खसरा नंबर 2844/173 है किन्तु ऑनलाइन

— लगातार

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय आबूरोड

Signature Not Verifi
Digitally signed by Govin
Bhichher
Date: 2023.08.17 1?:39:
Reason: SelfAttested

नक्शो के सेग्रीगेशन के कार्य दौरान हुई
त्रुटि के कारण इस खसरा संख्या
2844/173 की भी वर्तमान राजस्व
नक्शे के सही सीमाओं में नहीं
दर्शाया हुआ है अतः नक्शे में हुई
तरमीम संबंधी अशुद्धि के सुधार
हेतु कथन किया है।

उक्त प्रकरण को दर्ज कर प्रार्थी
तहसीलदार को नोटिस जारी किया।
तहसीलदार आबूरोड ने जरिये पत्रांक
राजस्व/2023/31 दिनांक 13.06.23
से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि
राजस्व नक्शे में ऑनलाइन सेग्रीगेशन
के समय त्रुटि हुई है। अतः संलग्न
प्रस्तावित नक्शे अनुसार खसरा संख्या
650, 2843/173, 173/2730 व 2844/173
की शुद्धि संलग्न नजरी नक्शे अनुसार किया
जाना उचित होने का कथन किया है।

दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निवेदन
किया की खसरा संख्या 173/2730 के वर्तमान
मे तीन भाग बने है जिसमे से एक भाग रूपांतरण
पश्चात तथा दो भाग पंजीकृत विक्रय विलेख के
आधार पर परन्तु उपरोक्त खसरा [illegible]
नक्शे मे रूपांतरण आदेश [illegible]
के साथ नजरी नक्शे अनुसार [illegible]
गया है यह त्रुटि दौराने सेग्रीगेशन के राजस्व
कर्मचारियों की गलती से हुई है अतः सुधारी जावे।

— लगातार

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय आबूरोड

Signature Not Verified
Digitally signed by Govind Singh Bhichher
Date: 2023.08.17 17:39:49 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त तहसीलदार व पैरोकार सरकार
ने भी निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नक्शे
में दौराने सेग्रीगेशन त्रुटि कारित हुई है
जो सही किया जाना न्यायहित में है। तथा
यह भी निवेदन किया कि उपरोक्त तीनों
खसरों 2843/173, 173/2730 व 2844/173
के साथ-साथ खसरा नंबर 650
जो नगर सुधार न्यास के नाम दर्ज है
उसमें भी सेग्रीगेशन के दौरान त्रुटि हुई
है उसे भी सुधारा जावे।

मैंने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित
तथ्यों तथा उपलब्ध दस्तावेजों का
अवलोकन किया। वकील प्रार्थीगण की
बहस सुनी। तहसीलदार आबूरोड द्वारा
प्रस्तुत जवाब मय दस्तावेजों का अवलोकन
किया। वकील प्रार्थीगण व पैरोकार
सरकार की बहस सुनी जिससे यह स्पष्ट
है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या
2843/173, 173/2730 व 2844/173
में नक्शे संबंधी त्रुटि राजस्व कर्मचारियों
द्वारा की गई है तथा उक्त के नक्शे तीन
भाग जरिये संपरिवर्तन व पंजी [illegible]
बिल्कुल विलोरव से बने [illegible]
नक्शे अनुसार वर्तमान में नक्शे में
नहीं दर्शाये गये है तथा उपरोक्त है

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय आबूरोड

— लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Govind S
Bhichher
Date: 2023.08.17 17:39:49
Reason: SelfAttested

नाके- सादि खसरा संख्या 650 और उक्त
खसरो के पास स्थित है उसमे भी सुधार
किया जाना उचित है। इससे नगरसुधार
न्यास के अधिकारो पर जिससे कोई प्रतिकूल
प्रभाव नहीं पड़ता है और प्रार्थीगण की नक्शे
संबंधी त्रुटि भी सही हो जाएगी।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर
आज दिनांक 13/6/2023 को राजस्थान भू-राजस्व
अधि० 1956 की धारा 136 मे प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए प्रशासन गांवो के संग
कैम्प-आम्बुड़ी मे यह निर्देशित करता हूँ कि
संलग्न नक्शे अनुसार खसरा संख्या 650,
2843/173, 173/2730 व 2844/173 मे
नक्शे संबंधी त्रुटि को सुधारा जाकर
राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्त किया जावे। उपरोक्त
खसरो के क्षेत्रफल मे किसी भी प्रकार का
बदलाव नहीं किया जावे। तहसीलदार आबूरोड
को उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त
करने के आदेश दिए जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार [illegible]
नंबर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Govind Singh Bhichher
Date: 2023.08.17 17:39:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय आबूरोड